



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 12 दिसम्बर, 2011 ई0

अग्रहायण 21, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 759/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-48/2008

देहरादून, 12 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प0 आ0-159

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों द्वारा ₹ 05 लाख (₹ पांच लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25%) की छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निःशक्तता से कमशः 1.अन्धता 2.कम दृष्टि 3. कुष्ठरोगमुक्त 4.श्रवण शक्ति का हास 5.चल निःशक्तता 6.मानसिक मंदत्ता 7. मानसिक रूग्णता अभिप्रेत है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 759/XXVII(9)/2011/Stamp-48/2008, Dated December 12, 2011 for general information :

No. 759/XXVII(9)/2011/Stamp-48/2008

Dated Dehradun, December 12, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time) the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the Stamp duty upto twenty five percent (25%) in respect of transfer of immovable property for a value of rupees five lakh in favour of disabled persons. Disability means, 1- Blindness 2- Partly blindness 3- Free from leprosy 4- Deafness 5- walking disability 6- mental disability 7- mental disease respectively.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,

Addl. Chief Secretary.